जन आधार

सत्यमेव जयते

जन आधार

राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः—एफ17(8)12/डीईएस/रा.ज.आ.यो./सामान्य/2022/2453 दिनांकः 25-10-2024

जिला कलक्टर एवं
जिला जन आधार योजना अधिकारी
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः— निवासियों को जन आधार से विभिन्न कारणों से स्थाई/अस्थाई रूप से निष्क्रिय करने/हटाये जाने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि जन आधार नामांकित निवासियों में कतिपय ऐसे सदस्य हैं, जो वर्तमान में विभिन्न कारणों से या तो जन आधार में सक्रिय नहीं हैं अथवा स्थायी रूप से राज्य के अन्यत्र पलायन कर गये हैं। इस प्रकार के सदस्यों को, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 28.06.2024 को सम्पन्न 9वीं बैठक (कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न) में लिये गये निर्णय की अनुपालना में, निष्क्रिय करने/हटाने हेतु निम्न प्रकार से जन आधार एप्लीकेशन में व्यवस्था की गई है—

अ. जन आधार नामांकित मुखिया/सदस्य को अस्थाई रूप से निष्क्रिय किये जाने के क्रम में—

निम्नलिखित कारणों के अन्तर्गत जन आधार के **द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर** जिला कलक्टर द्वारा संबंधित निवासी को अस्थाई रूप से निष्क्रिय किया जा सकेगा। यदि भविष्य में यह आवश्यक होता है कि निष्क्रिय किये गये सदस्य को पुनः सक्रिय किया जाना है तो द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर जिला कलक्टर के द्वारा ही पुनः सक्रिय किया जा सकेगा—

- राज्य के बाहर के निवासी परिवार में शादी
- राज्य के बाहर का निवासी हो जाने के कारण
- शारीरिक रूप से लम्बे समय से उपलब्ध नहीं होने के कारण निष्क्रिय किया जाना आवश्यक (यथा गुमशुदा/परिवार को छोड़ जाने पर इत्यादि)

ब. जन आधार नामांकित मुखिया/सदस्य को स्थाई रूप से निष्क्रिय किये जाने के क्रम में—

निम्नलिखित कारणों के अन्तर्गत जन आधार के **द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर** जिला कलक्टर द्वारा संबंधित निवासी को स्थाई रूप से निष्क्रिय किया जा सकेगा—

- छल कपट से जन आधार कार्ड बनने पर
- जन आधार कार्ड में काल्पनिक मुखिया/सदस्य होने पर
- जन आधार कार्ड में डुप्लीकेट सदस्य होने पर

अतः उक्त कारणों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों के समाधान हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी से उनकी अनुशंषा के आधार पर आपकी एसएसओ आईडी में जन आधार एप्लीकेशन में प्राप्त आवेदनों का आपके स्तर से निस्तारण करने का श्रम करावें। साथ ही सभी उपखण्ड अधिकारियों व विकास अधिकारियों को भी समय पर इस प्रकार के प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(अनुपमा जोरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव

कार्यालय का पता :— कमरा नं. 318 तृतीय तल, योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर।
फोन नं. 0141-2850220 ईमेल आई.डी. —janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
वेब साइटः—https://janaadhaar.rajasthan.gov.in

जन आधार

सत्यमेव जयते

जन आधार

क्रमांकः—एफ17(8)12/डीईएस/रा.ज.आ.यो./सामान्य/2022/2454-62 दिनांकः 25-10-2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सू.प्रौ. और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, जिला कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिले।
6. एसए/एसीपी, जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी), समस्त जिलें।
7. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, समस्त।
8. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, पंचायत समिति, समस्त।
9. वेबसाईट शाखा, मुख्यालय।

विशिष्ट शासन सचिव

Document certified by Anupama Jorwal <anupamajorwal@gmail.com>.

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : Special Secretary To Government
Date :24-10-2024 04:01:03

जन आधार

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः–एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 1482   दिनांकः 28.06.2024

कार्यकारिणी समिति की 9वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की 9वीं बैठक शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2024 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। उक्त बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
1.	**गत बैठक के कार्यवाही विवरण की अनुपालना की समीक्षा –**		
(i)	पूर्व में स्थापित 300 एटीएम को शीघ्र पुनः चालू कराते हुए उपयोगी बनाया जावें तथा मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की आगामी बैठक से पूर्व पालना को सुनिश्चित करावें और वस्तुस्थिति उक्त प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करें।	• आगामी कार्यवाही के संबंध में निर्णय लेने हेतु शासन सचिव, आयोजना तथा प्रबंध निदेशक, आरआईएसएल के मध्य शीघ्र ही एक मीटिंग आयोजित कराई जानी है। • कार्यकारी निदेशक, आरआईएसएल फाईल बना कर शासन सचिव, आयोजना तथा प्रबंध निदेशक, आरआईएसएल को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।	कार्यकारी निदेशक, राजकॉम्प इन्फों सर्विसेज लिमिटेड व संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
(ii)	प्रत्येक ग्राम पंचायत के नजदीकी सक्रिय आधार केन्द्रों की सूची उस ग्राम पंचायत की दीवार पर पेन्ट / चस्पा कराकर अंकित कराई जाये जिसे आमजन आसानी से देख सके और इस सूची को समय–समय पर अपडेट करावाया जाये।	अनुपालना पूर्ण	–
(iii)	जन आधार नामांकन में संबंधित मुखिया / सदस्य की ही आधार संख्या दर्ज हो, इसकी सुनिश्चितता हेतु परिशिष्ट–'अ' अनुसार अनुमोदित प्रक्रियानुसार जन आधार पोर्टल में प्रावधान किये जावे।	अनुपालना पूर्ण RajKaj Ref 8425604	–
(iv)	जन आधार पोर्टल के	डीबीटी वाली योजनाओं को जन आधार	संयुक्त निदेशक,

	साथ एकीकरण से छूट रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों को प्रमुख शासन सचिव, आयोजना की ओर से जन आधार पोर्टल से एकीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया जावें।	से जोड़ने हेतु व्यवहारिक समीक्षा कर तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर योजनाओं को चिन्हित कर पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जन आधार से जोड़ने की कार्यवाही की जानी हैं।	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
(v)	जन आधार में लिये जा रहे राजकीय विभागों की योजनाओं/सेवाओं से संबंधित लाभार्थियों के पहचान दस्तावेजों/सूचनाओं को संबंधित विभाग से API के माध्यम से प्राप्त किया जावें अथवा API के अभाव में ऐसी सूचनाओं को संबंधित विभागों से सत्यापित कराया जावें।	अनुपालना पूर्ण	—
(vi)	जन आधार नामांकन में दर्ज सूचनाओं का संख्यात्मक रूप में जन आधार पोर्टल पर प्रदर्शन हेतु निर्धारित किये जाने वाले प्रारूपों का अनुमोदन सक्षम स्तर से लेने के उपरान्त किया जावें।	प्रस्तुत किए गए 7 प्रारूपों में से — • प्रारूप 1 से 4 व 7 (**संलग्न परिशिष्ट—2**) का अनुमोदन किया गया। • प्रारूप 5 (जाति संबंधित जानकारी) पर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन लिया जाना है। • प्रारूप 6 (आय संबंधी) का प्रदर्शन नहीं किया जाना है।	तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड व संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
(vii)	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह के स्थान पर छः माह में आयोजित करने के प्रस्ताव को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जावे।	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह में ही आयोजित की जानी है।	—
2.	राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति की समीक्षा	• जन आधार कार्ड के मुद्रण व वितरण से संबंधित पीडी खाते में शेष रही राशि को अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लेने/लौटाने के लिए वित्त विभाग को पत्रावली भिजवायी जानी है। • वित्तिय वर्ष 2024—25 का गतिविधि वार बजट (BE) प्रस्तुत किया गया।	संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

RajKaj Ref 8425604

		• ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले जन आधार के प्रशासनिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति जानने हेतु निम्न प्रकार से ग्रामों का चयन कर रेन्डम चैकिंग ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा की जानी है– ✓ जिस ब्लॉक मे ग्राम पंचायतें 0–20 है वहाँ 4 ग्राम पंचायतों में, ✓ जिस ब्लॉक मे ग्राम पंचायतें 21–35 है वहाँ 6 ग्राम पंचायतों में तथा ✓ जिस ब्लॉक में ग्राम पंचायतें 35 से अधिक है वहाँ 8 ग्राम पंचायतों में।	
3.	राजस्थान वित्त निगम की **युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना** को जन आधार एवं डी.बी.टी. भारत पोर्टल से Delinked/ Integration में Exemption हेतु प्रस्ताव	कम्पनी के लिए जन आधार आवश्यक नहीं परन्तु एकल स्वामित्त्व उपक्रम (Sole Proprietorship)/ साझेदारी उपक्रम (Partnership) के लिए जन आधार लिया जाना है। अतः **युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना** के एकल स्वामित्त्व उपक्रमों (Sole Proprietorship)/ साझेदारी उपक्रमों (Partnership) के Transactions को जन आधार से Integration के माध्यम से Share किया जाना है।	महा प्रबंधक, राजस्थान वित्त निगम
4.	जन आधार नामांकन/ अद्यतन को और सरल, सुगम व विश्वसनीय बनाने हेतु जन आधार एप्लीकेशन में आवश्यक सुधारात्मक सुझावों पर अनुमोदन– (i) जन आधार में e-KYC से लम्बित सदस्यों को **अस्थायी रूप से निष्क्रिय** किया जाना (ii) पाँच वर्ष तक के सदस्यों हेतु जन आधार में जुड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र/आधार को	(i) 15–15 दिवस मे मैसेज भिजवाये जाने हैं, परन्तु अस्थायी रूप से निष्क्रिय (Temporary Deactivation) करने पर निर्णय परीक्षण उपरान्त (Case to case basis) लिया जाना है। (ii) अनुमोदित। RajKaj Ref 8425604	तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड व संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण तथा संयुक्त निदेशक, जीवनांक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

	आवश्यक करना – • पहचान पोर्टल से जन्म प्रमाण–पत्र जारी होते ही जन आधार में सदस्य को स्वतः जोड़ना • जो सदस्य पहचान पोर्टल के माध्यम से जन आधार में स्वतः नहीं जुड़ सके हैं, उनके लिए पहचान पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र संख्या को दर्ज कराकर जुड़ने की सुविधा देना • पहचान पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण–पत्र के अभाव में आधार कार्ड को आवश्यक किया जाना		
	(iii) अनाथ बच्चों के परिवार का जन आधार नामांकन करवाने संबंधित सुझाव– • 18 वर्ष की आयु से कम के अनाथ बच्चों के जन आधार में संरक्षक का नाम जोड़ा जा सकता है • संरक्षक (जिसका जन आधार कार्ड बना हो और वह वयस्क हो) का नाम अनाथ बच्चों के जन आधार में दर्ज किया जाना, • अनाथ बच्चों के जन आधार में अद्यतन को संरक्षक द्वारा संपादित किया जाना • 18 वर्ष या अधिक की आयु के सदस्य के उपलब्ध हो जाने पर संरक्षक की भूमिका को समाप्त किया जाना	(iii) अनुमोदित, परन्तु 18 वर्ष पर संरक्षक की भूमिका स्वतः ही समाप्त होने का एप्लीकेशन मे प्रावधान की सुनिश्चितता की जानी है।	
	(iv) जन आधार की कुछ चिन्हित गतिविधियों / सूचनाओं को	(iv) अनुमोदित। RajKaj Ref 8425604 साथ ही डीम्ड सत्यापन की परिधि से	

	डीम्ड सत्यापन की परिधि से बाहर रखा जाना– • सदस्य को जोड़ा जाना • बैंक खाता विवरण • परिवार का पता • पारिवारिक आय	बाहर की जा रही इन चारों गतिविधियों के साथ–साथ ही अन्य पहले से डीम्ड सत्यापन से बाहर की गई गतिविधियों (यथा– स्थानान्तरण, विभाजन, मुखिया परिवर्तन, मुखिया/सदस्य निरस्तीकरण) का 45 दिवस में सत्यापन किया जाना अनिवार्य। इस हेतु सत्यापकों से बकाया सत्यापनों के लिए निरन्तर तकाजा किया जाना।	
	(v) निम्न कारणों के अन्तर्गत मुखिया/ सदस्य को **अस्थाई रूप से निष्क्रिय** किया जाना– • राज्य के बाहर के निवासी परिवार में शादी • राज्य के बाहर का निवासी हो जाने के कारण • शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण निष्क्रिय किया जाना आवश्यक (यथा गुमशुदा /परिवार को छोड़ जाने पर इत्यादि)	(v) अनुमोदित तथा प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी– • द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर कलक्टर द्वारा निष्क्रिय किया जाना, • आवश्यकता होने पर निष्क्रिय सदस्य को द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर कलक्टर के द्वारा ही पुनः सक्रिय किया जाना।	
	(vi) निम्न कारणों के अन्तर्गत मुखिया/ सदस्य को **स्थाई रूप से** निष्क्रिय किया जाना– • छल कपट से जन आधार कार्ड बनने पर • जन आधार कार्ड में काल्पनिक मुखिया/ सदस्य होने पर • जन आधार कार्ड में डुप्लीकेट सदस्य होने पर	(vi) अनुमोदित तथा प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी– द्वितीय स्तरीय सत्यापक की अनुशंषा पर कलक्टर द्वारा स्थायी रूप से निष्क्रिय किया जाना।	
11.	ई–मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत सेवाओं का अनुमोदन	• सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 07.07.2023, दिनांक 16.08.2023 एवं दिनांक 07. 05.2024 (**संलग्न परिशिष्ट–3**) के क्रम मे B2C (Business to Citizen) श्रेणी सेवाओं का ई–मित्र प्लेटफार्म से एकीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।	तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग व संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

RajKaj Ref 8425604

जन आधार

		• दरों में परिवर्तन से संबंधित सेवाओं के लिए **दरों मे परिवर्तन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की बैठक में** प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(विनेश सिंघवी)
सदस्य सचिव
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
आर्थिक ऐवं सांख्यिकी विभाग तथा
पदेन अतिरिक्त महानिदेशक

क्रमांकः–एफ.17(8)22/डीईएस/रा.ज.आ.यो./का.स. बैठक/2020/1483-1501 दिनांकः 28.06.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी औरसंचार विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
4. निजी सचिव, महाप्रबंधक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
6. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
7. विशिष्ट/संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
8. निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी (यूआईडी), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी औरसंचार विभाग, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, जीवनांक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
13. श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
15. एसीपी, मुख्यालय, जयपुर।
16. सहायक निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर।
17. सहायक निदेशक (डीबीटी), मुख्यालय, जयपुर।
18. प्रभारी अधिकारी, जन आधार वेबसाईट, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
8425604

Document certified by VINESH SINGHVI <vineshsinghvi@gmail.com>.

Digitally Signed by VINESH SINGHVI
Designation : Director and Joint Secretary
Date :28-06-2024 05:00:07

परिशिष्ट–1

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 21–06–2024 को आयोजित 9वीं बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्री विनेश सिंघवी, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
2.	श्री एन.के. सेठी, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3.	श्री मौहम्मद जुनैद, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–।।), शासन सचिवालय, जयपुर।
4.	श्री अमित अग्रवाल, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी), एनआईसी, योजना भवन, जयपुर।
5.	श्री आर.एल. सोलंकी, तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6.	श्री वाई.के. जैन, तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
7.	श्री अनिल कुमार सिंह, कार्यकारी निदेशक, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
8.	श्री वी.सी. बुनकर, निदेशक (वित्त), जयपुर।
9.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
10.	श्री दीपक कुमार, एस.ए. (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
11.	श्री सुरेश कुमार, उप महा प्रबंधक, राज. वित्त निगम, जयपुर।
12.	श्री मनोज कुमार गंगवाल, उप महा प्रबंधक, राज. वित्त निगम, जयपुर।
13.	श्रीमती दामिनि गर्ग, मैनेजर (एमएस)।
14.	श्रीमती सीमा तनेजा, उप निदेशक, जीवनांक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
15.	श्री मुनिश माटोलिया, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
16.	श्री सुनिल चौधरी, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
17.	श्री नन्द किशोर शर्मा, एसीपी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
18.	श्री अजय भारती, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
19.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
20.	श्री सुरज्ञान डिडेल, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
21.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
22.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
23.	श्री राजकुमार मंगल, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
24.	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
25.	श्रीमती सुनिता मीणा, प्रोग्रामर, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।

जन आधार

परिशिष्ट–2

टेबिल – 1

अवधि – .... से .... तक

जिला	ग्रामीण / शहरी	ब्लॉक / नगर निकाय	ग्राम पंचायत / वार्ड	गांव	जन आधार नामांकित	
					परिवार	सदस्य

टेबिल – 2

अवधि – .... से .... तक

जिला	ग्रामीण / शहरी	ब्लॉक / नगर निकाय	ग्राम पंचायत / वार्ड	गांव	जन आधार नामांकित सदस्य		
					पुरूष	महिला	ट्रांसजेन्डर

टेबिल – 3

अवधि – .... से .... तक

जिला	क्षेत्रानुसार जन आधार नामांकित परिवार		क्षेत्रानुसार जन आधार नामांकित सदस्य	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी

टेबिल – 4

अवधि – .... से .... तक

जिला	ग्रामीण / शहरी	ब्लॉक / नगर निकाय	ग्राम पंचायत / वार्ड	गांव	आयुवार जन आधार नामांकित सदस्य					
					5 वर्ष से कम	5–18 वर्ष	18– 45 वर्ष	45–60 वर्ष	60–80 वर्ष	80 वर्ष या अधिक

टेबिल – 7

अवधि – .... से .... तक

जिला	ग्रामीण / शहरी	ब्लॉक / नगर निकाय	ग्राम पंचायत / वार्ड	गांव	जन आधार से जुडी लोक कल्याणकारी योजना (ड्रॉप डाउन लिस्ट में)				
					योजना का प्रकार (नगद / गैर–नगद / दोनों)	ट्रांजेक्शन	राशि	लाभार्थी परिवारों की संख्या	लाभार्थी सदस्यों की संख्या

परिशिष्ट–3

ई–मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत की जाने वाली अनुमोदित सेवाओं की सूची–

अ. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 07.07.2023 के संदर्भ में :

1. **Geetanjali Medical College & Hospital** - Dekhbhaal (Online Appointment Booking & Enquiry Portal) Services.
2. **Money Art Small Finance Private Limited** - Airtel Prepaid Recharge, VI Prepaid Recharge, Jio Prepaid Recharge, BSNL Prepaid Recharge, Airtel DTH Recharge, Dish TV Recharge, Videocon DTH Recharge, Tata Sky Recharge, Sun Direct Recharge, Electricity Bill Payment, Mobile Postpaid Bill Payment, Gas Payments, Insurance Payment, Fast tag Recharge, Water Bill Payment, Loan Repayment, Broadband Postpaid Payment, Landline Postpaid, Muncipal Taxes, CMS, New Pan Card, Credit Card Application, Flight Ticket Booking (AIR INDIA), Flight Ticket Booking (Excluding AIR INDIA), Bus Ticket Booking, TW/Four Wheeler Insurance, AEPS User Registration, AEPS Cash Withdrawal (100-3,000/-), AEPS Cash Withdrawal (3,001-10,000/-), AEPS Mini Statement, AEPS Balance Check, Account Verification, UPI Verification, Gold Booking, Domestic Money Transfer<=1,000/-, Domestic Money Transfer 1,001-2,000/-, Domestic Money Transfer 2,001-3,000/-, Domestic Money Transfer 3,001-4,000/-, Domestic Money Transfer 4,001-5,000/-, Credit Card Bill Payment (10-30,000/-), Credit Card Bill Payment (30,001-2,00,000/-), Aadharpay (1-10,000/-) .
3. **Chillarpay Business Solutions Pvt. Ltd** - Mobile Recharge (Airtel, Vodafone, Idea, Jio, BSNL), DTH Recharge (Tata Sky, Videocon, Sun Direct, Airtel DTH, Dish TV), Electricity Bill Pay, Life Insurance Premium Pay, Micro ATM.
4. **Finova Capital Private Limited** - Collection Payment Service (EMI & Other Dues).
5. **Siyag Rural Market Private Limited** - Digistall - Your Gateway to e-Commerce.
6. **One 97 Communications Ltd** - Corporate PSA (Payment Service Agent)
7. **Aavas Financiers Ltd** - Housing Finance Lead Generation
8. **Equity Capital Advisors (India) Pvt. Ltd** - Verification Services for DMT

9. **Parshwa Payserve Private Ltd** - FASTag Recharge, Insurance Premium Payment, Gas Cylinder Booking.

10. **Maddox Consultancy Services Pvt. Ltd** - Pan Card NSDL (Physical PAN Card, ePan Card), M Swasth Booking (Digital Health Care Services), Legal Consulting Services (Agent Subscription, Customer Registration, Consulting-On Voice Call, Consulting-On Video Call), Maddox Shop Insurance (Fire, Theft, Death, Third Party Loss Insurance), Fasttag-Paytm (Agent Subscription, Fasttag-Booking Activation), Insurejoy Services (General Insurance-Two Wheeler, General Insurance-Four Wheeler, General Insurance-Third Party), Mobile & DTH Recharge (Airtel DTH Recharge, Dish TV Recharge-DTH, SUNTV E-Charge-DTH, Tata Sky-DTH, Videocon D2h Recharge-DTH, Vodafone-Idea Recharge-Mobile, Jio Recharge-Mobile, MTNL Delhi Top-up-Mobile, MTNL MUM Top-up-Mobile, Airtel Recharge-Mobile, BSNL Recharge-Mobile).

11. **BLS International** - SDM+MEA, SDM+Apostille, SDM+MEA (WNR), SDM+Apostille (WNR), SDM+MEA+UAE Embassy, SDM+MEA+UAE Embassy+UAE MOFA, SDM+MEA+Kuwait Embassy, SDM+MEA+Bahrain Embassy, SDM+MEA+Vietnam Embassy, SDM+MEA+Thailand Embassy.

ब. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 16.08.2023 के संदर्भ में

1. **M/s Dikshu India Communications Pvt. Ltd** - Mobile/ DTH Recharge, Domestic Money Transfer (DMT), Aadhaar Enabled Payment System (AePS) and Credit Card bill payment.

2. **M/s Gayatri Evertech Solutions Pvt. Ltd.** - Electricity Bill Payment, LIC and Other Insurance Premium Payment, Fastag Recharge Service, Gas Pipeline Payment, Water Bill Payment and Credit Card bill payment.

स. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 07.05.2024 के संदर्भ में

1. **M/s Charmingle Services Pvt. Ltd.** - CMS Aadhaar Enabled Payment System (AePS), CMS Electricity Bill Payment, Domestic Money Transfer (DMT), Prepaid Recharge (Vodafone Idea, Airtel, Jio Prepaid, All DTH Recharge),

Other Services (LPG Postpaid-All, LIC Payment, Landline-All, Postpaid-All, Piped Gas-All).

2. **M/s EGron Indiatech Private Ltd.** - Electricity Bill Payment.
3. **M/s Shivam TradeMart Pvt. Ltd.** - Status Check – ITR Filling and Status Check – Aadhaar Pan Linking.
4. **M/s Tripjack Private Ltd.** - Air Ticket, Hotel Booking and Lead Generation for Visa.
5. **M/s One Shop Seva** - Mobile Recharge Prepaid (Airtel, Reliance JIO, Vi, BSNL, BSNL Special), Mobile Recharge Postpaid (Airtel, Reliance JIO, Idea, BSNL, Vodafone), DTH Recharge (Airtel Digital TV, Dish TV, Tata Play-Formerly TATA Sky, Videocon D2H, SUN Direct TV), fastag Recharge, Broad band Bill Payment, Gas Bill Payment, Insurance Premium, Electricity Bill Payment, Loan Repayment, New/ Correction Pan card Application.
6. **M/s Remarkable Education Pvt. Ltd.** - Career Counselling, Scholarship.
7. **M/s M-Swasth Solution Private Ltd.** - M-Swasth Tele-Medication.
8. **Society of Digital Enterpreneurs (SODES)** - Membership Registration, Digital & Financial Literacy Certification.
9. **M/s OneSKG MEET Pvt. Ltd.** - Credit Card Bill Payment, Prepaid/ Postpaid Mobile and DTH Recharge, Cable, Landline and Broadband Bill Payment, Fastag Bill Payment, Domestic Money Transfer (DMT).
10. **BLS International** - Two Wheeler-Bike/Scooter/Scotty Insurance, Four Wheeler-Private car/Commercial and Trasnport Vehicles Insurance, Health Insurance.
11. **Sunrise Techno Solutions** - Status Check- ITR Filling, Status Check-Aadhaar Pan Linking, Linking of Aadhaar with Pan.
12. **Spice Money Limited** - Domestic Money Transfer (DMT), Travel (Flight-Domestic, Flight-International, Hotel-Domestic, Hotel-International, Bus-Private, Bus-RSTC).

****